



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सड़क दुर्घटना की चोट या मृत्यु के मुआवजे की प्रक्रिया कैसे काम करती है, कौन दावा कर सकता है, मोटर यान अधिनियम की धारा 164 के तहत नो-फॉल्ट दायित्व क्या है, और मुआवजे पर अदालतों ने क्या सिद्धांत तय किए हैं?”

भारत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के तहत सड़क दुर्घटना मुआवजे की प्रक्रिया, पात्रता, धारा 164 के अंतर्गत 'नो-फॉल्ट' दायित्व और न्यायिक सिद्धांतों का विश्लेषण

सारांश

भारत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के समक्ष मुआवजे की प्रक्रिया एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है, जहाँ साक्ष्य का मानक आपराधिक मामलों जैसा कठोर नहीं बल्कि केवल 'संभाव्यता की प्रबलता' (preponderance of probability) है (Rajwati @ Rajjo & Ors. v. United India Insurance Company Ltd. & Ors. (2022))। मोटर यान अधिनियम की धारा 164 के तहत 'नो-फॉल्ट' दायित्व के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 2.5 लाख रुपये का निश्चित मुआवजा बिना किसी लापरवाही को साबित किए अनिवार्य रूप से देय है। वहीं, धारा 166 के तहत सामान्य दावों में 'न्यायोचित' (just) मुआवजे की गणना हेतु न्यायालयों ने गुणक पद्धति (multiplier method) और भविष्य की वित्तीय संभावनाओं (future prospects) को जोड़ने का सिद्धांत स्थापित किया है, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु के आधार पर विभाजित गुणक का उपयोग वर्जित है (R. V. Alli v. Tamil Nadu State Transport Corporation Ltd. (2022))।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	5	2024
13 उच्च न्यायालय • 12 सर्वोच्च न्यायालय		Supreme Court of India

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	8
IV. मुकदमे का विवरण	10

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 प्रक्रियात्मक उदारता और सक्रिय दावा अधिकरण

दावा अधिकरणों में कठोर सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) लागू नहीं होती। न्यायाधिकरण मूक दर्शक नहीं है, बल्कि उसे सत्य की खोज हेतु सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए (*Mayur Arora (2010)*)। अधिकरण तकनीकी देरी के आधार पर दावे में संशोधन करने की याचिका को खारिज नहीं कर सकता (*Manesh s/o Bhaskar Kharmale (2010)*)।

02 पात्रता एवं अधिकार क्षेत्र की लचीली सीमा

दावा पीड़ित, उसके कानूनी प्रतिनिधियों या उनके द्वारा अधिकृत एजेंट द्वारा दायर किया जा सकता है, जहाँ पीड़ित का अपना दावा जीवित रहता है (*National Insurance Company Limited v. F.R. Philip K.T. (2020)*)। दावेदार के पास अपनी पसंद के क्षेत्र में याचिका दायर करने का विकल्प होता है, और इसे तकनीकी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए (*Balveer Batra (2024)*)।

03 साक्ष्य का उदार मानक

मोटर दुर्घटना दावों में साक्ष्य साबित करने का मानक आपराधिक परीक्षण जैसा 'संदेह से परे' नहीं, बल्कि केवल 'संभाव्यता की प्रबलता' (preponderance of probability) होता है (*Mathew Alexander (2023)*)।

04 'नो-फॉल्ट' दायित्व और वैकल्पिक उपचार (Election of Remedies)

धारा 164 के तहत नो-फॉल्ट दायित्व एक संरचित फॉर्मूला आधारित सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जहाँ लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती (*Deepal Girishbhai Soni (2004)*)। हालाँकि, यदि पीड़ित कोई कर्मचारी है, तो धारा 167 के तहत उसे मोटर यान अधिनियम या कामगार मुआवजा अधिनियम (Workmen's Compensation Act) में से किसी एक ही उपाय का चयन करना होगा (*National Insurance Company Ltd. v. Mastan (2005)*)।

05 न्यायोचित (Just) मुआवजा

धारा 168 के तहत निर्धारित मुआवजा 'न्यायोचित' होना चाहिए, जो न तो अत्यधिक अप्रत्याशित लाभ (windfall) हो और न ही बहुत कम या नगण्य (*National Insurance Company Ltd. v. Kusuma (2011)*)।

06 वाहन के 'मालिक' की व्याख्या

अधिनियम के तहत "मालिक" की परिभाषा केवल पंजीकृत मालिक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके पास वाहन का वास्तविक कब्जा और नियंत्रण है (*Vaibhav Jain (2024)*)।

07 विशिष्ट क्षेत्राधिकार का बार

सड़क दुर्घटना से जुड़े मामलों में मुआवजे का क्षेत्राधिकार केवल दावा अधिकरण (MACT) के पास है; दीवानी न्यायालय और उपभोक्ता फोरम को इसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है (*Thiruvalluvar Transport Corporation* (1995))।

08 स्वयं की लापरवाही पर दावे का निषेध

यदि दुर्घटना किसी अन्य वाहन की संलिप्तता के बिना चालक/मालिक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई हो, तो वह सामान्य नियमों के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकता (*Machindranath Kernath Kasar* (2008); *The New India Assurance Company Limited v. Vuyyuru Veera Venkateswaramma* (2014))।

09 पारिवारिक लाभों की गैर-कटौती

मुआवजे की गणना में 'निर्भरता के नुकसान' की गणना करते समय मृतक के कानूनी वारिसों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन जैसी स्वायत्त आय को नहीं घटाया जा सकता (*National Insurance Company Ltd. v. Roslind M.J.* (2013))।

10 गैर-पैरवी के आधार पर खारिजी का विरोध

एक कल्याणकारी कानून होने के कारण, दावा अधिकरण को आवेदनों को तकनीकी चूक या गैर-पैरवी (non-prosecution) के कारण खारिज करने से बचना चाहिए (*Jagjeet Singh* (2011))।

11 गंभीर विकलांगता में गैर-आर्थिक मुआवजा

गंभीर शारीरिक आघात (जैसे पक्षाघात) के मामलों में, गुणक विधि के अलावा शारीरिक दर्द, पीड़ा और जीवन की सुख-सुविधाओं के नुकसान के लिए बढ़ा हुआ गैर-आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए (*The New India Assurance Co. Ltd. v. Shweta Dilip Mehta* (2009))।

12 वाहन की वास्तविक संलिप्तता का प्रमाण

यदि दुर्घटना में कथित वाहन की वास्तविक संलिप्तता संदिग्ध या झूठी पाई जाती है, तो मुआवजे का दावा निरस्त कर दिया जाएगा (*Claimants v. New India Assurance Company Limited* (2014))।

13 भविष्य की संभावनाएं और मानक संशोधन

मुआवजे के आकलन में मृतक की वास्तविक आय के साथ-साथ भविष्य की वित्तीय संभावनाओं (future prospects) को जोड़ना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अंतिम संस्कार व्यय और संपत्ति के नुकसान की गणना करना आवश्यक है (*Royal Sundaram Alliance Insurance Company Limited v. V.S. Sujatha* (2023))।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण	सर्वोच्च न्यायालय ने समय-सीमा (limitation period) की तकनीकी बाधाओं को उदारतापूर्वक समाप्त करते हुए स्पष्ट किया कि धारा 166(3) का विलोपन लंबित दावों पर भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके (<i>Dhannalal</i> (1996))। ब्याज दरों के संबंध में न्यायालय ने माना कि तत्कालीन बैंक ब्याज दरों के आधार पर ही ब्याज दर का निर्धारण किया जाना चाहिए (<i>Abati Bezbaruah</i> (2003))।
उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ	उच्च न्यायालयों ने प्रक्रियात्मक सुगमता को प्राथमिकता दी है, जैसे कि दावेदारों को धारा 166 से हटाकर अपनी याचिका को धारा 163-A के संरचित नो-फॉल्ट आधार में संशोधित करने की अनुमति देना (<i>Narshiji Nagaji Majirana</i> (2003))। वहीं, यदि वाहन का मालिक स्वयं किसी दुर्घटना में प्रभावित होता है, तो बीमा कंपनी का दायित्व केवल तीसरे पक्ष (third party) तक ही सीमित रहेगा, जब तक कि व्यापक बीमा पॉलिसी में विशेष व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (Personal Accident Cover) शामिल न हो (<i>Chola Mandlam MS General Insurance Company Ltd.</i> (2022))।
हाल का विकास	वर्ष 2019 के संशोधनों के बाद, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'गोल्डन ऑवर' कैशलेस आपातकालीन उपचार योजना और मोटर वाहन दुर्घटना कोष (Motor Vehicle Accident Fund) जैसी नागरिक-अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं (<i>Suo Motu v. State of Kerala</i> (2023))। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी लोक अदालत के पास सड़क दुर्घटना मुआवजे के दावों को गुण-दोष के आधार पर तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है (<i>Bajaj Allianz General Insurance Company Limited</i> (2011))।

II. सांविधिक प्रावधान 5 प्रावधान

SECTION 164, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — PAYMENT OF COMPENSATION IN CASE OF DEATH OR GRIEVOUS HURT, ETC.

मृत्यु या गंभीर चोट के मामलों में मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए 'नो-फॉल्ट' दायित्व स्थापित करता है, जिसके तहत मालिक या बीमाकर्ता को बिना लापरवाही साबित किए मृत्यु के लिए 5 लाख रुपये और गंभीर चोट के लिए 2.5 लाख रुपये का निश्चित मुआवजा देना होता है।

"Section 164. Payment of compensation in case of death or grievous hurt, etc. -- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to pay in the case of death or grievous hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, a compensation, of a sum of five lakh rupees in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be.

(2) In any claim for compensation under sub-section (1), the claimant shall not be required to plead or establish that the death or grievous hurt in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or of the vehicle concerned or of any other person." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 169, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — PROCEDURE AND POWERS OF CLAIMS TRIBUNALS

दावा अधिकरण को अपनी जांच में संक्षिप्त प्रक्रिया (summary procedure) अपनाने का अधिकार देता है और गवाहों की उपस्थिति, शपथ पर साक्ष्य लेने तथा दस्तावेजों को पेश कराने के लिए इसे दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियां प्रदान करता है।

"Section 169. Procedure and powers of Claims Tribunals -- (1) In holding any inquiry under section 168, the Claims Tribunal may, subject to any rules that may be made in this behalf, follow such summary procedure as it thinks fit.

(2) The Claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed...

(4) For the purpose of enforcement of its award, the Claims Tribunal shall also have all the powers of a Civil Court in the execution of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908, as if the award were a decree for the payment of money passed by such court in a civil suit." उद्धृत: Jagjeet Singh v. Abhishek Kumar Jema, Mayur Arora v. Amit & Ors., Manesh s/o Bhaskar Kharmale v. Vikas Shivajirao Khaire

SECTION 166, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — APPLICATION FOR COMPENSATION

निर्दिष्ट करता है कि मुआवजे के लिए आवेदन कौन दायर कर सकता है, जिसमें घायल व्यक्ति, संपत्ति का मालिक, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि या उनके अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हैं।

"166. Application for compensation. - (1) An application for compensation arising out of an accident of the nature specified in sub-section (1) of section 165 may be made - (a) by the person who has sustained the injury; or (b) by the owner of the property; or (c) where death has resulted from the accident, by all or any of the legal representatives of the deceased; or (d) by any agent duly authorized by the person injured or all or any of the legal representatives of the deceased, as the case may be." उद्धृत: Chola Mandlam MS General Insurance Company Ltd. v. Ambika Soni, Jagjeet Singh v. Abhishek Kumar Jema, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Janak Kori, Mayur Arora v. Amit & Ors., National Insurance Company Ltd. v. Kusuma, Mathew Alexander v. Mohammed Shafi and Anr., National Insurance Company Ltd. v. Mastan, Dhannalal v. D.P. Vijayvargiya, The New India Assurance Co. Ltd. v. Shweta Dilip Mehta, Manesh s/o Bhaskar Kharmale v. Vikas Shivajirao Khaire, National Insurance Company Ltd. v. Roslind M.J.

SECTION 168, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — AWARD OF THE CLAIMS TRIBUNAL

दावा अधिकरण को निर्देश देता है कि वह पक्षों को सुनने के बाद दावों की जांच करे और 'न्यायोचित' (just) मुआवजा निर्धारित करे जिसे बीमाकर्ता, मालिक या चालक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

"168. Award of the Claims Tribunal. - (1) On receipt of an application for compensation made under section 166, the Claims Tribunal shall, after giving notice of the application to the insurer and after giving the parties (including the insurer) an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim or, as the case may be, each of the claims and, subject to the provisions of section 162 may make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just and specifying the person or persons to whom compensation shall be paid and in making the award the Claims Tribunal shall specify the amount which shall be paid by the insurer or owner or driver of the vehicle involved in the accident or by all or any of them, as the case may be." उद्धृत: Chola Mandlam MS General Insurance Company Ltd. v. Ambika Soni, Jagjeet Singh v. Abhishek Kumar Jema, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Janak Kori, Mayur Arora v. Amit & Ors., National Insurance Company Ltd. v. Kusuma, Mathew Alexander v. Mohammed Shafi and Anr., National Insurance Company Ltd. v. Mastan, Dhannalal v. D.P. Vijayvargiya, The New India Assurance Co. Ltd. v. Shweta Dilip Mehta, Manesh s/o Bhaskar Kharmale v. Vikas Shivajirao Khaire, National Insurance Company Ltd. v. Roslind M.J.

SECTION 165, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — CLAIMS TRIBUNALS

राज्य सरकारों को मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली चोट, मृत्यु या तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान से जुड़े दुर्घटना दावों के निपटारे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) का गठन करने की शक्ति देता है।

"Section 165. Claims Tribunals -- (1) A State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Motor Accidents Claims Tribunals... for such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to, persons arising out of the use of motor vehicles, or damages to any property of a third party so arising, or both." उद्धृत: National Insurance Company Ltd. v. Mastan, National Insurance Company Ltd. v. Roslind M.J.

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Mayur Arora v. Amit & Ors.</i> DLHC011954802009	HIGH COURT OF DELHI	2010	अधिकरण मूक दर्शक नहीं, बल्कि सत्य की खोज हेतु सक्रिय भूमिका निभाए।
02	<i>Manesh s/o Bhaskar Kharmale v. Vikas Shivajirao Khaire</i> HCBM030122722010	BOMBAY HIGH COURT	2010	प्रक्रियात्मक देरी के कारण मुआवजे की मांग में संशोधन को खारिज नहीं किया जा सकता।
03	<i>Vaibhav Jain v. Hindustan Motors Pvt. Ltd.</i> ESCR010003862024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	"मालिक" में केवल पंजीकृत मालिक ही नहीं, बल्कि वास्तविक नियंत्रणकर्ता भी शामिल है।
04	<i>Dhannalal v. D.P. Vijayvargiya</i> ESCR010006771996	SUPREME COURT OF INDIA	1996	समय सीमा हटाने का संशोधन लंबित दावों पर भी भूतलक्षी रूप से लागू होता है।
05	<i>The New India Assurance Company Limited v. Vuyyuru Veera Venkateswaramma</i> HBHC010213442007	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2014	मृतक स्वयं वाहन का मालिक/चालक होने पर 'तीसरा पक्ष' नहीं माना जा सकता।
06	<i>National Insurance Company Ltd. v. Roslind M.J.</i> KLHC010320112009	HIGH COURT OF KERALA	2013	मुआवजे की गणना करते समय पारिवारिक पेंशन की कटौती नहीं की जा सकती।
07	<i>Thiruvalluvar Transport Corporation v. Consumer Protection Council</i> ESCR010001311995	SUPREME COURT OF INDIA	1995	उपभोक्ता मंच के पास मोटर दुर्घटना दावों पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं।
08	<i>Machindranath Kernath Kasar v. D.S. Mylarappa & Ors.</i> ESCR010013452008	SUPREME COURT OF INDIA	2008	स्वयं की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक मुआवजे का दावा नहीं कर सकता।
09	<i>National Insurance Company Ltd. v. Kusuma</i> ESCR010000292011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	गर्भस्थ शिशु की मृत्यु पर मुआवजा मनमाना नहीं, बल्कि न्यायोचित और तर्कसंगत होना चाहिए।
10	<i>R. V. Alli v. Tamil Nadu State Transport Corporation Ltd.</i> ESCR010000342022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	मुआवजे के निर्धारण में सेवानिवृत्ति आधारित विभाजित गुणक (split multiplier) लगाना गलत है।
11	<i>Jagjeet Singh v. Abhishek Kumar Jema</i> CGHC010053052007	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2011	अधिकरण को दावा याचिकाओं को गैर-पैरवी के आधार पर सीधे खारिज नहीं करना चाहिए।
12	<i>Deepal Girishbhai Soni v. United India Assurance Co. Ltd.</i> ESCR010001912004	SUPREME COURT OF INDIA	2004	धारा 163-A के तहत प्राप्त मुआवजा अंतिम राहत है, अंतरिम नहीं।
13	<i>Chola Mandlam MS General Insurance Company Ltd. v. Ambika Soni</i> CGHC010024252015	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2022	तीसरे पक्ष की अनुपस्थिति में वाहन मालिक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सीमा लागू।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Abati Bezbaruah v. Dy. Director General, Geological Survey of India</i> ESCR010000212003	SUPREME COURT OF INDIA	2003	मुआवजे पर ब्याज की दर तत्कालीन प्रचलित बैंक दरों पर आधारित होनी चाहिए।
15	<i>The New India Assurance Co. Ltd. v. Shweta Dilip Mehta</i> HBHC010132852008	BOMBAY HIGH COURT	2009	गंभीर विकलांगता मामलों में शारीरिक दर्द और जीवन असुविधा हेतु गैर-आर्थिक मुआवजा आवश्यक।
16	<i>Mathew Alexander v. Mohammed Shafi and Anr.</i> ESCR010005332023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	मुआवजे के दावों में साक्ष्य का मानक संभाव्यता की प्रबलता पर आधारित होता है।
17	<i>National Insurance Company Limited v. F.R. Philip K.T.</i> HBHC010326082006	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2020	धारा 166(1)(b) संपत्ति क्षति दावा केवल तीसरे पक्ष की संपत्ति हेतु सीमित है।
18	<i>Balveer Batra v. The New India Assurance Company & Anr.</i> ESCR010004042024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के तकनीकी आधार पर दावा याचिका खारिज नहीं की जा सकती।
19	<i>Suo Motu v. State of Kerala</i> KLHC010591042021	HIGH COURT OF KERALA	2023	2019 संशोधन के तहत गोल्डन ऑवर और कैशलेस आपातकालीन उपचार व्यवस्था लागू है।
20	<i>National Insurance Company Ltd. v. Mastan</i> ESCR010006062005	SUPREME COURT OF INDIA	2005	कामगार मुआवजा कानून का विकल्प चुनने पर मोटर वाहन अधिनियम के अधिकार समाप्त।
21	<i>Claimants v. New India Assurance Company Limited</i> HBHC010468342011	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2014	यदि दुर्घटना में कथित वाहन की वास्तविक संलिप्तता संदिग्ध हो, दावा खारिज होगा।
22	<i>Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Janak Kori</i> CGHC010066352009	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2011	स्थायी लोक अदालत के पास सड़क दुर्घटना दावों को तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं।
23	<i>Narshiji Nagaji Majirana v. Mangilal Amturam Bishnoi</i> GJHC240121612003	HIGH COURT OF GUJARAT	2003	याचिकाकर्ता धारा 166 के दावे को धारा 163-A के तहत संशोधित कर सकता है।
24	<i>Royal Sundaram Alliance Insurance Company Limited v. V.S. Sujatha</i> KLHC010326032016	HIGH COURT OF KERALA	2023	विभाजित गुणक की अस्वीकृति और भविष्य की वित्तीय संभावनाओं को जोड़ना अनिवार्य।
25	<i>Rajwati @ Rajjo & Ors. v. United India Insurance Company Ltd. & Ors.</i> ESCR010009142022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	साक्ष्य के कठोर नियम अपवर्जित; वेतन प्रमाणपत्र प्रामाणिक साक्ष्य माना जा सकता है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Mayur Arora v. Amit & Ors.

HIGH COURT OF DELHI • 2010-04-12 • MAC.APP./609/2009

यह मामला सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा मुआवजे के दावे को खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित है। ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया था कि अपीलकर्ता ने Maruti Van के चालक की लापरवाही को साबित नहीं किया और साइट प्लान जैसे दस्तावेज पेश नहीं किए। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Motor Vehicles Act की Section 168 और 169 के तहत जांच एक सिविल ट्रायल की तरह नहीं होती है। ट्रिब्यूनल का दायित्व है कि वह एक जांच अधिकारी की तरह सक्रिय भूमिका निभाए और मामले की सच्चाई तक पहुँचने के लिए आवश्यक कदम उठाए। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए वापस भेज दिया और पीड़ित-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 168 और 169 के तहत दावा अधिकरण का कार्य मात्र एक मूक दर्शक या निष्पक्ष रेफरी बनना नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य सक्रिय रूप से जांच करना और न्यायोचित मुआवजे का निर्धारण करना है।

“Section 168 of the Motor Vehicles Act, MAC.APP.No.609/2009 Page 6 of 116 1988 provides that the Claims Tribunal shall hold an inquiry into the claim. Section 168 of the Motor Vehicles Act is reproduced hereunder:- “Section 168. Award of the Claims Tribunal- On receipt of an application for compensation made under section 166, the Claims Tribunal shall, after giving notice of the application to the insurer and after giving the parties (including the insurer) an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim or, as the case may be, each of the claims and, subject to the provisions of section 162 may make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just and specifying the person or persons to whom compensation shall be paid and in making the award the Claims Tribunal shall specify the amount which shall be paid by the insurer or owner or driver of the vehicle involved in the accident or by all or any of them, as the case may be: Provided that where such application makes a claim for compensation under section 140 in respect of the death or permanent disablement of any person, such claim and any other claim (whether made in such application or otherwise) for compensation in respect of such death or permanent disablement shall be disposed of in accordance with the provisions of Chapter X.”

HIGH COURT OF DELHI • 2010

स्रोत DLHC011954802009

02 Manesh s/o Bhaskar Kharmale v. Vikas Shivajirao Khaire

BOMBAY HIGH COURT • 2010-06-22 • WP/3475/2010

यह मामला Motor Accident Claims Tribunal (M.A.C.T.) द्वारा याचिकाकर्ता के मुआवजे की मांग को बढ़ाने के लिए किए गए संशोधन आवेदन को खारिज करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो एक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, ने अपनी विकलांगता और नौकरी छूटने के कारण मुआवजे की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की अनुमति मांगी थी। ट्रिब्यूनल ने Civil Procedure Code के Order-VI Rule-17 का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। नॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि M.A.C.T. की कार्यवाही में Civil Procedure Code के नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं। न्यायालय ने कहा कि Motor Vehicles Act, 1988 का उद्देश्य पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाना है, और केवल प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर संशोधन को नहीं रोका जा सकता। अतः कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए संशोधन की अनुमति दे दी।

निर्णय अधिकरण द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता के सख्त नियमों से बंधे बिना किसी भी समय संशोधन याचिकाओं को स्वीकार किया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट को सीधे दावा याचिका मानकर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

“Perusal of sub-section (2) of section 169 would make it amply clear that the Claims Tribunal shall have all the powers of the Civil Courts for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses. It is deemed to be a Civil Court for certain purposes though it is not a Civil Court in stricto sensu. Needless to say, the rigours of Proviso appended to Order-VI Rule-17 of the Civil Procedure Code are not attracted when a suitable amendment is sought by the claimant.”

BOMBAY HIGH COURT • 2010

स्रोत HCBM030122722010

03 Vaibhav Jain v. Hindustan Motors Pvt. Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-09-03 • 2024 INSC 652

यह मामला एक मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजे के दायित्व से संबंधित है। एक टेस्ट-ड्राइव के दौरान हुई दुर्घटना में, वाहन निर्माता कंपनी (Hindustan Motors) के कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। अदालत ने माना कि चूंकि वाहन का स्वामित्व और नियंत्रण निर्माता कंपनी के पास था और चालक भी उसी का कर्मचारी था, इसलिए डीलर (Vaibhav Jain) को वाहन का मालिक नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि Motor Vehicles Act, 1988 के तहत केवल पंजीकृत मालिक ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति भी मालिक माना जा सकता है जिसके पास वाहन का वास्तविक नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त, निर्माता कंपनी ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए वह अब Order 41, Rule 33 of the CPC का उपयोग करके अपने दायित्व से नहीं बच सकती।

निर्णय धारा 168 के तहत मुआवजा दायित्व के आकलन के लिए "मालिक" की परिभाषा व्यापक है। यदि कोई वाहन किराया-क्रय समझौते के अधीन है, तो वास्तविक कब्जे वाला व्यक्ति ही मालिक माना जाएगा।

“Interestingly, Section 166, though specifies the persons who may file an application for compensation, omits to specify person(s) against whom the application is to be filed. However, sub-section (1) of Section 168 by providing that the Claims Tribunal shall specify the amount which shall be paid by the insurer or owner or driver of the vehicle involved in the accident, gives sufficient indication on whom the liability for compensation would fall.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010003862024

04 Dhannalal v. D.P. Vijayvargiya

SUPREME COURT OF INDIA • 1996-05-07 • 1996 INSC 634

यह मामला मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से संबंधित है। अपीलकर्ता ने दुर्घटना के बाद मुआवजे के लिए एक याचिका दायर की थी, लेकिन उसमें कुछ दिनों की देरी हुई थी। न्यायालय ने 'Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994' के तहत Section 166(3) के विलोपन (omission) पर विचार किया, जिसने मुआवजे के दावों के लिए समय सीमा की बाध्यता को हटा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह संशोधन लंबित याचिकाओं पर भी लागू होगा, क्योंकि संसद का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को अनुचित रूप से समय सीमा के आधार पर न्याय से वंचित होने से बचाना था। इसलिए, न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में समय सीमा का तर्क मान्य नहीं होगा।

निर्णय संसद द्वारा धारा 166(3) से समय सीमा को हटाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि तकनीकी देरी के आधार पर दावेदारों के अधिकार बाधित न हों।

“In view of sub-section (6) of Section 158 of the Act the officer in charge of the police station is enjoined to forward a copy of information/report regarding the accident to the Tribunal having jurisdiction. A copy thereof has also to be forwarded to the concerned insurer. It also requires that where a copy is made available to the owner of vehicle, he shall within thirty days of receipt of such copy forward the same to the Claims Tribunal and insurer. In this background, the deletion of sub-section (3) from Section 166 should be given full effect so that the object of deletion of said section by the Parliament is not defeated.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1996

स्रोत ESCR010006771996

05 The New India Assurance Company Limited v. Vuyyuru Veera Venkateswaramma

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014-11-06 • MACMA/1548/2007

यह मामला एक सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे से संबंधित है। मृतक एक स्कूटर का चालक था और दुर्घटना उस समय हुई जब वाहन की टक्कर एक अज्ञात वाहन से हुई। बीमा कंपनी ने यह तर्क देते हुए मुआवजे के भुगतान से इनकार किया कि मृतक स्वयं वाहन चला रहा था और वह 'तीसरे पक्ष' (third party) की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि बीमा पॉलिसी केवल 'Act Policy' थी, न कि व्यापक बीमा (comprehensive policy)। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि Motor Vehicles Act के तहत, मुआवजे का दावा केवल तीसरे पक्ष द्वारा किया जा सकता है। चूंकि मृतक स्वयं वाहन का उपयोग कर रहा था और वह मालिक के स्थान पर था, इसलिए वह दावे का हकदार नहीं था। फलस्वरूप, बीमा कंपनी को मुआवजे के दायित्व से मुक्त कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई।

निर्णय सामान्य तौर पर धारा 166 और 168 के तहत दावेदारों को यह साबित करना होगा कि दुर्घटना विपक्षी वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। मालिक या स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति तीसरे पक्ष के मुआवजे का हकदार नहीं है।

“The claim for compensation raised in Section 163-A need not be based on pleadings or proof of claimants showing absence of contributory negligence, but for onus to proof of contributory or composite or total negligence of injured/deceased or of his traveling vehicle driver; lies on the shoulders of the owner or insurer, opposing and defending the claim to so establish in discharge of the burden lies on them.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014

स्रोत HBHC010213442007

06 National Insurance Company Ltd. v. Roslind M.J.

HIGH COURT OF KERALA • 2013-02-26 • MACA/2821/2009

यह मामला Motor Vehicles Act के तहत मुआवजे से संबंधित है। अपीलकर्ता, National Insurance Company Ltd., ने मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे को इस आधार पर चुनौती दी थी कि ट्रिब्यूनल ने मृतक की मासिक आय से प्राप्त होने वाली 'family pension' को निर्भरता के नुकसान (loss of dependency) की गणना करते समय नहीं घटाया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 'family pension' मृतक की रोजगार शर्तों का हिस्सा है और यह किसी भी प्रकार की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) पर देय होती है। इसलिए, इसका दुर्घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है और इसे मुआवजे की गणना में कटौती योग्य लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता। अंततः, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखा।

निर्णय सड़क दुर्घटना के कारण प्राप्त होने वाले मुआवजे की गणना के लिए 'हानि और लाभ' के सामान्य सिद्धांत को कानून की भावना के अनुसार ही लागू किया जा सकता है, तथा पारिवारिक पेंशन जैसे heritable एसेट्स इसमें रोड़े नहीं बन सकते।

“The compensation payable under the Motor Vehicles Act is on account of the pecuniary loss to the claimant by accidental injury or death and not other forms of death. If there is natural death or death by suicide, serious illness, including even death by accident, through train, air flight not involving a motor vehicle, would not be covered under the Motor Vehicles Act.”

HIGH COURT OF KERALA • 2013

स्रोत KLHC010320112009

07 Thiruvalluvar Transport Corporation v. Consumer Protection Council

SUPREME COURT OF INDIA • 1995-02-09 • 1995 INSC 107

यह मामला सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे के दावे से संबंधित था। एक यात्री की दुर्घटना में मृत्यु के बाद, उपभोक्ता सुरक्षा परिषद ने मुआवजे के लिए National Consumer Disputes Redressal Commission के समक्ष याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Motor Vehicles Act, 1988 एक विशेष कानून है जो सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों के लिए एक विशिष्ट ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) का प्रावधान करता है। अदालत ने माना कि चूंकि उपभोक्ता कानून (Consumer Protection Act, 1986) एक सामान्य कानून है, इसलिए सड़क दुर्घटना के मामलों में विशेष कानून का ही क्षेत्राधिकार होगा। अतः, National Commission के पास इस मामले की सुनवाई का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

निर्णय मोटर यान अधिनियम के तहत गठित दावा अधिकरण का सड़क दुर्घटना के मुआवजे पर अनन्य क्षेत्राधिकार है, तथा सिविल कोर्ट और उपभोक्ता फोरम का क्षेत्राधिकार इस संबंध में वर्जित है।

“Section 175 next provides that where any Claims Tribunal has been constituted for any area, no Civil Court shall have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which may be adjudicated. It is upon by the Claims Tribunal for that area.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1995

स्रोत ESCR010001311995

08 Machindranath Kernath Kasar v. D.S. Mylarappa & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-04-29 • 2008 INSC 556

यह मामला एक बस दुर्घटना से संबंधित है जिसमें बस के चालक (अपीलकर्ता) और यात्रियों ने Motor Vehicles Act, 1988 की Section 166 के तहत मुआवजे के लिए याचिकाएं दायर की थीं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, न कि ट्रक चालक की। चूंकि यात्रियों की याचिका में बस चालक की लापरवाही का निष्कर्ष अंतिम हो गया था और उसने उसे चुनौती नहीं दी थी, इसलिए ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने उसके स्वयं के दावे को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चालक को कार्यवाही का हिस्सा माना जाना चाहिए, और चूंकि उसे अपनी लापरवाही के खिलाफ अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला था, इसलिए वह इस निष्कर्ष से बंधा हुआ है।

निर्णय यदि कोई चालक दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो वह लापरवाही के सिद्धांत के तहत अन्य पक्षों से मुआवजे का हकदार नहीं है।

“Section 149 imposes duties on insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party risks. The insurer having regard to sub-Section (2) of Section 149 of the Act would be entitled to avoid its liability in one of the contingencies specified therein.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010013452008

09 National Insurance Company Ltd. v. Kusuma

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-08-23 • 2011 INSC 600

यह मामला सड़क दुर्घटना में माँ को लगी चोट के कारण गर्भस्थ शिशु (foetus) की मृत्यु के मुआवजे से संबंधित है। Motor Accident Claims Tribunal ने इसे एक बच्चे की मृत्यु के समान मानकर मुआवजा दिया था, जिसे High Court ने बढ़ा दिया। Supreme Court ने स्पष्ट किया कि Motor Vehicles Act की Section 168 के तहत 'just' मुआवजे का निर्धारण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तर्कसंगत और उचित होना चाहिए। यद्यपि न्यायालय ने नोट किया कि निचली अदालतों ने मुआवजे के निर्धारण के लिए ठोस सिद्धांत नहीं अपनाए थे, लेकिन दुर्घटना के पुराने होने के कारण मामले को दोबारा Tribunal में भेजने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने High Court के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

निर्णय "न्यायोचित" (just) मुआवजा निष्पक्ष, तर्कसंगत और गैर-मनमाना होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हानि के मामले में भी माता-पिता की मुआवजे की मांग को स्थापित कानूनी मानकों के आधार पर तर्कसंगत तरीके से तय किया जाना चाहिए।

“The word \"just\" connotes something which is equitable, fair and reasonable, conforming to rectitude and justice and not arbitrary. It may be true that Section 168 of the Act confers a wide discretion on the Tribunal to determine the amount of compensation but this discretion is also coupled with a duty to see that this exercise is carried out rationally and judiciously by accepted legal standards and not whimsically and arbitrarily, a concept unknown to public law.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010000292011

10 R. V. Alli v. Tamil Nadu State Transport Corporation Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-02-10 • 2022 INSC 170

यह मामला मोटर वाहन दुर्घटना में मुआवजे के निर्धारण से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की गणना के लिए 'split multiplier' (सेवा निवृत्ति तक एक और उसके बाद दूसरा) का उपयोग करना गलत है। National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi और Sarla Verma v. Delhi Transport Corporation के निर्णयों के अनुसार, मृतक की आयु ही उचित multiplier चुनने का आधार होनी चाहिए, न कि उसकी शेष सेवा अवधि। चूंकि मृतक की आयु दुर्घटना के समय 54 वर्ष थी, न्यायालय ने 11 का multiplier लागू करते हुए मुआवजे की राशि को पुनर्निर्धारित किया और अपील का निपटारा कर दिया।

निर्णय मुआवजे की गणना के लिए "विभाजित गुणक" (split multiplier) का उपयोग करना पूरी तरह गलत है। Sarla Verma मामले में निर्धारित एकल गुणक पद्धति ही स्वीकृत और न्यायपूर्ण है।

“In Pranay Sethi , it was held that it is the age of the deceased which is basis for applying suitable multiplier and that the compensation is to be determined keeping in view the future prospects – The future prospects were held to be 15% in respect of a deceased between the age of 50 to 60 years – Thus, the method of determination of compensation applying two multipliers is erroneous and runs counter to the judgment of this Court in Pranay Sethi , affirming the judgment in Sarla Verma.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010000342022

11 Jagjeet Singh v. Abhishek Kumar Jema

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2011-03-15 • MAC/81/2007

यह मामला एक motor accident claim से संबंधित है। अपीलकर्ता ने चोटों के लिए Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुआवजे की मांग की थी, लेकिन Claims Tribunal ने दावा याचिका और समझौता आवेदन को 'non-prosecution' (पैरवी न करने) के आधार पर खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Tribunal को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय 'सत्य की खोज करने वाला' (active explorer) होना चाहिए और उसे सहानुभूतिपूर्ण कानून के तहत सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। न्यायालय ने Tribunal के आदेश को रद्द करते हुए मामले को फिर से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया, ताकि साक्ष्यों और समझौते के आधार पर योग्यता (merits) के अनुसार निर्णय लिया जा सके।

निर्णय चूंकि यह अधिनियम एक जनकल्याणकारी विधान है, न्यायाधिकरण मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय अन्वेषक है, जिसे गैर-पैरवी के तकनीकी आधार पर दावों को सीधे खारिज करने से बचना चाहिए।

“Sections 168 and 169 of the Act make it evident that the Tribunal does not function as a neutral umpire as in a civil suit, but as an active explorer and seeker of truth who is required to (hold an enquiry into the claim) for determining the 'just compensation'. The Tribunal should \therefore take an active role to ascertain the true and correct position so that it can assess the (just compensation)\"

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2011

स्रोत CGHC010053052007

12 Deepal Girishbhai Soni v. United India Assurance Co. Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2004-03-18 • 2004 INSC 184

यह मामला Motor Vehicles Act, 1988 के तहत Section 163-A और Section 166 के बीच संबंधों और दावों की प्रकृति से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Section 163-A के अंतर्गत मिलने वाला मुआवज़ा एक अंतिम (final) समाधान है, न कि अंतरिम (interim)। चूंकि यह धारा एक संरचित फॉर्मूले (structured formula) पर आधारित है और इसमें लापरवाही (negligence) साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पीड़ित एक ही समय में Section 163-A और Section 166 दोनों के तहत दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दोनों धाराएं स्वतंत्र और अलग-अलग उपाय प्रदान करती हैं, और पीड़ित को किसी एक को चुनना होगा। Section 140 के विपरीत, Section 163-A के तहत दिया गया अवार्ड पूर्ण और अंतिम है।

निर्णय धारा 163-A के तहत दिया जाने वाला संरचित मुआवज़ा पूर्ण और अंतिम निपटान है, न कि कोई अंतरिम उपाय। यह धारा लापरवाही के प्रमाण के बिना त्वरित राहत प्रदान करती है।

“Section 163-A of the Act was enacted for grant of immediate relief to a section of people whose annual income is not more than Rs. 40,000 having regard to the fact that in terms of Section 163-A of the Act read with the Second Schedule appended thereto, Compensation is to be paid on a structured formula not only having regard to the age of the victim and his income but also the other factors relevant therefor.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2004

स्रोत ESCR010001912004

13 Chola Mandlam MS General Insurance Company Ltd. v. Ambika Soni

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022-10-17 • MAC/119/2015

यह मामला Motor Vehicles Act की धारा 166 के तहत दायर मुआवजे की याचिका से संबंधित है, जहां वाहन मालिक की अपनी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई थी। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि मालिक स्वयं किसी अन्य वाहन के न होने पर अपने ही खिलाफ दावा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी का दायित्व केवल 'third party' के प्रति होता है। हालांकि, चूंकि पॉलिसी 'comprehensive' थी और उसमें मालिक के लिए 'personal accident cover' शामिल था, न्यायालय ने मुआवजे की राशि को कम करके 2,00,000 रुपये तक सीमित कर दिया।

निर्णय दावा अधिकरण केवल तीसरे पक्ष के नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहरा सकता है। मालिक को केवल 'व्यक्तिगत दुर्घटना कवर' के दायरे में ही राहत मिल सकती है।

“Thus from the conjoint reading of Sections 165 and 166 of the Act it is manifestly clear that only third party can prefer claims for compensation in respect of accidents involving the death of or bodily injury to, person arising out of use of motor vehicle, or damages to any property.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022

स्रोत CGHC010024252015

14 Abati Bezbaruah v. Dy. Director General, Geological Survey of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2003-02-14 • 2003 INSC 92

यह मामला सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद मुआवजे और उस पर मिलने वाले ब्याज की दर से संबंधित है। अपीलकर्ता, मृतक की पत्नी, ने मुआवजे की राशि बढ़ाने और ब्याज की दर में संशोधन की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि Section 168 के तहत मुआवजा 'just and fair' होना चाहिए और कोर्ट ने मृतक की आय की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि को संशोधित किया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 171 के तहत ब्याज की दर पर कोई निश्चित नियम नहीं है और यह पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, जिसे परिस्थितियों और उस समय प्रचलित बैंक दरों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने ब्याज दर को बढ़ाकर 9% प्रति वर्ष कर दिया।

निर्णय मुआवजे की राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई तय नियम नहीं है। न्यायाधिकरण को प्रचलित बैंक ब्याज दरों को ध्यान में रखकर अपने विवेक से ब्याज दर तय करनी चाहिए।

“Rate of interest on compensation/Award would depend upon the facts and circumstances of each case. Award of interest would normally depend upon the bank rate prevailing at the relevant time. The amount of interest should, having regard to the facts and circumstances of the case, be paid at the rate of 9% per annum.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2003

स्रोत ESCR010000212003

15 The New India Assurance Co. Ltd. v. Shweta Dilip Mehta

BOMBAY HIGH COURT • 2009-12-14 • FA/1262/2008

यह मामला एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 11 वर्षीय लड़की को दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ाने से संबंधित है। दुर्घटना के कारण लड़की का निचला शरीर लकवाग्रस्त (paraplegic) हो गया था और उसे 80-90 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने Motor Vehicles Act, 1988 की Section 166 के तहत मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया। न्यायालय ने माना कि पीड़ित की कम उम्र और भविष्य में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, 'physical pain and mental shock' के लिए मुआवजे को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये और 'loss of amenities of life' के लिए 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुआवजा राशि 'just' (न्यायोचित) होनी चाहिए।

निर्णय जीवन के नुकसान या पूर्ण विकलांगता के मामलों में, गुणक विधि से अलग गैर-आर्थिक नुकसानों जैसे दर्द, मानसिक आघात और जीवन की सुख-सुविधाओं के ह्रास के लिए भी पर्याप्त राशि दी जानी चाहिए।

“The Hon’ble Apex Court has held that the Multiplier Method ensures a ‘just’ compensation, while making for uniformity and certainty of awards, and has frowned upon High Courts which had deviated from the method, especially for claims made u/s 163-A of the Motor Vehicles Act.”

BOMBAY HIGH COURT • 2009

स्रोत HBHC010132852008

16 Mathew Alexander v. Mohammed Shafi and Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-07-13 • 2023 INSC 621

यह मामला एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है जिसमें Appellant के बेटे और पांच अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आगे की जांच के बाद एक अंतिम रिपोर्ट (final report) दायर की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना अपरिहार्य (unavoidable) थी और इसमें Appellant के बेटे की कोई लापरवाही नहीं थी। High Court ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया और दुर्घटना के संबंध में कठोर टिप्पणियां कीं। Supreme Court ने स्पष्ट किया कि High Court द्वारा अंतिम रिपोर्ट पर विचार करते समय मामले के गुण-दोष पर निष्कर्ष निकालना अनुचित था। Court ने कहा कि मुआवजे के दावों में लापरवाही साबित करने का भार पक्षकारों पर है और इसे 'preponderance of probabilities' के आधार पर तय किया जाना चाहिए, न कि 'proof beyond reasonable doubt' के आधार पर। तदनुसार, Supreme Court ने High Court के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय सड़क दुर्घटना मुआवजे के दावों में लापरवाही साबित करने के लिए आपराधिक कानून का सख्त पैमाना नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे 'संभाव्यता की प्रबलता' के आधार पर आंका जाना चाहिए।

“The claimants have to establish their case on the touchstone of preponderance of probabilities. The standard of proof beyond reasonable doubt cannot be applied while considering the petition seeking compensation on account of death or injury in a road traffic accident.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR010005332023

17 National Insurance Company Limited v. F.R. Philip K.T.

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2020-03-11 • MACMA/1966/2006

यह मामला Motor Vehicles Act, 1988 के तहत अपने ही वाहन की क्षति के लिए मुआवजे के दावे से संबंधित है। प्रतिवादी (claimant) ने अपनी कार को हुए नुकसान के लिए Motor Accidents Claims Tribunal में दावा दायर किया था, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि Section 166(1)(b) के तहत 'property' का उल्लेख एक तीसरे पक्ष (third party) की संपत्ति के लिए है, न कि वाहन मालिक की स्वयं की संपत्ति के लिए। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वाहन का मालिक, जिसका वाहन स्वयं की लापरवाही या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुआ है, Motor Vehicles Act के तहत मुआवजा मांगने का हकदार नहीं है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय धारा 166 के तहत संपत्ति की क्षति का दावा केवल तीसरे पक्ष की संपत्ति के लिए ही वैध है; कोई भी मालिक अपने वाहन की क्षति का दावा इस अधिनियम के माध्यम से नहीं कर सकता।

“As per clause (b) of sub-section (1) of section 166 of the Act, an application for compensation arising out of an accident of the nature specified in sub-section (1) of Section 165 may be made by the owner of the property. The respondent - claimant filed the claim application under Section 166 of the Act before the Tribunal.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2020

स्रोत HBHC010326082006

18 Balveer Batra v. The New India Assurance Company & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-02-08 • 2024 INSC 361

यह मामला Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुआवजे की याचिका से संबंधित है। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ट्रिब्यूनल के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) का अभाव था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Section 166(2) के तहत दावा दायर करने का विकल्प claimant के पास है और यदि दावा किसी ऐसे ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया गया है जहाँ यह अन्यथा विचारणीय है, तो उसे केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने पाया कि Tribunal ने स्वयं क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्णय लेने के बाद, गुण-दोष (merits) पर विचार किए बिना ही सभी अन्य मुद्दों पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दे दिया था, जो कि एक बड़ी कानूनी त्रुटि थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करते हुए मामले को वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया ताकि वह मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर कर सके।

निर्णय धारा 166(2) के अंतर्गत दावेदार को दावा दायर करने के लिए स्थान चुनने के व्यापक विकल्प दिए गए हैं। केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के तकनीकी आधार पर याचिका निरस्त नहीं की जानी चाहिए।

“Thus, it is obvious that merely because the claimant made the application for compensation not to the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in which the accident occurred or not to the Claims Tribunal within the local limits of whose jurisdiction he resides or carries on business, is no reason to dismiss the application provided it is filed before a Claims Tribunal where it is otherwise maintainable.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010004042024

19 Suo Motu v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2023-04-12 • WP(C)/23076/2021

यह जनहित याचिका (PIL) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा लागत के वित्तपोषण और उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि दुर्घटना के बाद आपातकालीन उपचार के खर्च का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष पेश किए गए जवाबों में यह स्पष्ट किया गया कि Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के प्रावधान, विशेष रूप से 'Golden Hour' उपचार और Motor Vehicle Accident Fund की स्थापना, इन समस्याओं का समाधान करते हैं। न्यायालय ने पाया कि कानून में पहले से ही कैशलेस आपातकालीन उपचार और अंतरिम राहत के प्रावधान मौजूद हैं, इसलिए इस विषय पर अतिरिक्त निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

निर्णय मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से सड़क सुरक्षा और जनहित कल्याण के लिए कई व्यापक नागरिक-अनुकूल सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें कैशलेस आपातकालीन सेवाएं भी शामिल हैं।

“The Ministry vide Motor Vehicle (Amendment) W.P.(C)No.23076 of 2021 12 Act, 2019 amended the chapter XI of Motor Vehicles Act, 1988 pertaining to insurance of motor vehicle and compensation thereof to the victims of motor vehicle accidents.”

HIGH COURT OF KERALA • 2023

स्रोत KLHC010591042021

20 National Insurance Company Ltd. v. Mastan

SUPREME COURT OF INDIA • 2005-12-09 • 2005 INSC 611

यह मामला 'doctrine of election' और Workmen's Compensation Act, 1923 तथा Motor Vehicles Act, 1988 के बीच के संबंधों से संबंधित है। एक दुर्घटना में घायल हुए कर्मचारी ने Workmen's Compensation Act के तहत मुआवजा प्राप्त किया। बीमा कंपनी (insurer) ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसे Motor Vehicles Act, 1988 की Section 149(2) के तहत उपलब्ध बचाव (defences) का अधिकार होना चाहिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दोनों कानून अलग-अलग और स्वतंत्र हैं। यदि कोई पीड़ित किसी एक कानून के तहत उपचार का विकल्प चुनता है, तो वह दूसरे कानून के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को Workmen's Compensation Act के तहत कार्यवाही में Motor Vehicles Act की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता और मामले को पुनर्विचार के लिए High Court वापस भेज दिया।

निर्णय धारा 167 के तहत 'वैकल्पिक उपचार के सिद्धांत' के अनुसार यदि कोई पक्ष कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत दावा दायर करता है, तो वह मोटर यान अधिनियम के लाभों के लिए अलग से न्यायालय में नहीं आ सकता।

“Section 167 makes it clear that a claim could not be maintained under both the Acts. In other words, a claimant who becomes entitled to claim compensation both under the Motor Vehicles Act, 1988 and under the Workmen's Compensation Act, because of a motor vehicle accident has the choice of proceeding under either of the Acts before the concerned forum.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2005

स्रोत ESCR010006062005

21 Claimants v. New India Assurance Company Limited

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014-11-13 • MACMA/1889/2011

यह मामला एक सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे के दावे से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि एक TVS Moped की टक्कर से Veresham की मृत्यु हुई थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय दर्ज की गई FIR में किसी अज्ञात वाहन का उल्लेख था और चश्मदीद गवाहों के बयान विरोधाभासी व अविश्वसनीय थे। न्यायालय ने माना कि वाहन की संलिप्तता साबित नहीं हुई है और यह मुआवजा पाने के लिए बाद में गढ़ा गया एक झूठा मामला है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें दुर्घटना में शामिल वाहन की भूमिका को नकार दिया गया था।

निर्णय यदि जांच में वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता पूरी तरह संदिग्ध या गढ़ी हुई पाई जाती है, तो दावे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

“The claim for compensation raised in Section 163-A need not be based on pleadings or proof of claimants showing absence of contributory negligence, but for onus to proof of contributory or composite or total negligence of injured/deceased or of his traveling vehicle driver; lies on the shoulders of the owner or insurer, opposing and defending the claim to so establish in discharge of the burden lies on them.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014

स्रोत HBHC010468342011

22 Bajaj Allianz General Insurance Company Limited v. Janak Kori

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2011-04-28 • WP227/410/2009

यह मामला इस कानूनी प्रश्न से संबंधित है कि क्या 'Permanent Lok Adalat' को 'Motor Vehicles Act, 1988' के तहत मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों पर सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि ऐसे दावों के लिए केवल 'Motor Accidents Claims Tribunal' ही सक्षम है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'Motor Vehicles Act, 1988' के तहत दावों के निपटारे के लिए एक विशेष प्रक्रिया और ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, जो दुर्घटना के मामलों में विशेष रूप से कार्य करते हैं। न्यायालय ने माना कि 'Permanent Lok Adalat' का अधिकार क्षेत्र दुर्घटना के दावों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इनके लिए विशेष वैधानिक ढांचा मौजूद है।

निर्णय मोटर दुर्घटना दावों का न्यायनिर्णयन केवल विशेष रूप से गठित अधिकरणों (MACT) द्वारा ही किया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत के पास इस अधिनियम के तहत गुण-दोष पर न्यायिक फैसला देने का अधिकार नहीं है।

“The procedure that is contemplated for holding any inquiry under Section 168 of M.V. Act is provided under Section 169 of the M.V. Act which would mandate that a claim petition shall follow rules that may be made and follows such summary proceedings as it thinks fit.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2011

स्रोत CGHC010066352009

23 Narshiji Nagaji Majirana v. Mangilal Amturam Bishnoi

HIGH COURT OF GUJARAT • 2003-12-02 • SCA/6310/2003

यह मामला मोटर वाहन दुर्घटना में मुआवजे के दावे के संशोधन से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने सड़क दुर्घटना में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद Section 166 के तहत दावा दायर किया था, लेकिन बाद में इसे Section 163-A के तहत 'structured formula' आधारित मुआवजे में बदलने का अनुरोध किया। ट्रिब्यूनल ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act, 1988) किसी दावेदार को कार्यवाही के दौरान Section 163-A के तहत मुआवजे का विकल्प चुनने से नहीं रोकता है। न्यायालय ने माना कि Section 163-A का उद्देश्य पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करना है, और प्रक्रियात्मक बाधाएं इसके कार्यान्वयन में बाधक नहीं होनी चाहिए।

निर्णय दावेदार को अपनी धारा 166 के तहत प्रस्तुत याचिका को धारा 163-A के संरचित फॉर्मूला वाले नो-फॉल्ट आधार में किसी भी समय परिवर्तित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

“The object with which Section 163-A has been inserted and the non-obstante clause with which sub-section (1) of Section 163-A commences clearly indicate that the Legislature did not intend to prevent the claimant from getting compensation as per the structured formula merely because in his original claim petition he had prayed for compensation on the basis of \"fault liability\" principle.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2003

स्रोत GJHC240121612003

24 Royal Sundaram Alliance Insurance Company Limited v. V.S. Sujatha

HIGH COURT OF KERALA • 2023-09-12 • MACA/3849/2016

यह मामला सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे से संबंधित है। मृतक एक सरकारी कर्मचारी थे, और उनके कानूनी वारिसों (पत्नी और बच्चों) ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के फैसले को चुनौती दी थी, जबकि बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि को अत्यधिक बताते हुए अपील की थी। उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की 'split multiplier' अपनाने की दलील को खारिज कर दिया और Sarla Verma व Pranay Sethi के निर्णयों का पालन करते हुए मुआवजे की गणना फिर से की। न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं (future prospects) को शामिल करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाई, लेकिन साथ ही funeral expenses, loss of estate, और pain and suffering जैसे कुछ मदों में सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों के अनुसार कटौती की। अंततः, न्यायालय ने मुआवजे की कुल राशि को पुनर्गठित किया और इसे सभी कानूनी वारिसों के बीच विभाजित करने का निर्देश दिया।

निर्णय मुआवजे की गणना में 'विभाजित गुणक' (split multiplier) का उपयोग वर्जित है। मृतक की वास्तविक आयु को आधार मानकर गुणक तय किया जाना चाहिए और भविष्य की वित्तीय संभावनाओं को जोड़ना अनिवार्य है।

“The application for compensation can be made by all or any of the legal representatives of the deceased on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the Tribunal, while making an award, has to specify the person or persons who are entitled for compensation.”

HIGH COURT OF KERALA • 2023

स्रोत KLHC010326032016

25 Rajwati @ Rajjo & Ors. v. United India Insurance Company Ltd. & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-12-09 • 2022 INSC 1267

यह मामला सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Motor Vehicles Act, 1988 एक कल्याणकारी कानून है, इसलिए मोटर दुर्घटना के दावों में साक्ष्य के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं। यदि दुर्घटना का होना सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित और न्यायपूर्ण मुआवजा प्रदान करे। साक्ष्य का मानक 'preponderance of probability' होना चाहिए, न कि आपराधिक मामलों जैसा 'beyond all reasonable doubt'। न्यायालय ने High Court के इस निर्णय को गलत माना कि salary certificate को केवल इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि उसे जारी करने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की गई थी, क्योंकि ये दस्तावेज आय का प्रमाण थे। अंत में, न्यायालय ने 'loss of consortium' और अन्य मदों में मुआवजे की राशि बढ़ा दी।

निर्णय मोटर दुर्घटना दावों में साक्ष्य के दीवानी व आपराधिक कठोर नियम शिथिल रहेंगे। वेतन पर्ची या प्रामाणिक दस्तावेजों को केवल लिपिकीय कारणों से खारिज नहीं किया जा सकता।

“Notably, while deciding cases arising out of motor vehicle accidents, the standard of proof to be borne in mind must be of preponderance of probability and not the strict standard of proof beyond all reasonable doubt which is followed in criminal cases.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010009142022

अ स्वीक र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।